

अध्याय 3

चुनाव और प्रतिनिधि

चुनावः—

- लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनती है उसे चुनाव (निर्वाचन) कहते हैं।

प्रतिनिधि:—

- लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके सरकार में (संसद / विधानसभा) में भेजती है, उस व्यक्ति को प्रतिनिधि कहते हैं।

प्रत्यक्ष लोकतंत्रः—

- प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में कम जनसंख्या होने के कारण जनता एक स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित होकर हाथ उठाकर रोजमर्ग (दैनिक) के फैसले तथा सरकार चलाने में भाग लेते थे। जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं।

अप्रत्यक्ष लोकतंत्रः—

- आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक नहीं रहा। आम जनता प्रत्यक्ष रूप से एक स्थानपर एकत्रित होकर सीधे सरकार की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती है। इसलिए अपने प्रतिनिधियों को भेजकर सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई जाती है। इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं।

चुनाव और लोकतंत्रः—

- चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र चुनाव के बिना अधूरा है तो चुनाव लोकतंत्र के बिना महत्वहीन है।

भारत में चुनाव व्यवस्था:—

- भारतीय संविधान में चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम कानून एवं स्वायत्त संस्था के गठन के नियमों को सूचीबद्ध कर रखा है। विस्तृत नियम कानून संशोधन। परिवर्तन का काम विधायिका को दे रखा है।

- चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन, उसकी कार्यप्रणाली, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन मत दे सकता है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतगणना कैसे होगी आदि सभी स्पष्ट रूप से लिखा है।

चुनाव आयोग:—

- भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक तीन सदस्यी चुनाव आयोग है। जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे।

सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली:—

- इस प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला विजय होगा चाहे जीत का अन्तर एक वोट ही हो।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली:—

- (i) इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है, और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है, जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं।
- (ii) समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दो प्रकार होते हैं। जैसे— इजराइल व नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीट दे दी जाती है। दूसरा प्रकार अर्जेंटीना व पुर्तगाल में जहाँ पूरे देश को बहु—सदस्यी निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है।

भारत में ‘सर्वाधिक वोट से जीत की’ प्रणाली क्यों स्वीकार की गई?

- (i) यह प्रणाली सरल है, उन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति एवं चुनाव का ज्ञान नहीं है।
- (ii) चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है।
- (iii) देश में मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवारों के चुनाव का अवसर मिलता है जिनको वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं।

निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षणः—

- भारतीय संविधान द्वारा सभी वर्गों को संसद में समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत, किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो भालेंगे लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित है।

सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकारः—

- किसी जाति, धर्म, लिंग एवं क्षेत्र के भेदभाव के बिना सभी 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के नागरिकों को मत देने का अधिकार।

चुनाव सुधारः—

- चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती। उसमें अनेक कमियाँ और सीमाएं होती हैं। लोकतांत्रिक समाज को, अपने चुनावों को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना पड़ता है, जिसे चुनाव सुधार कहते हैं। जैसे भारत में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध या फिर चुनाव लड़ने के लिए कुछ अनिवार्य शिक्षा योग्यता निर्धारित करना।

चुनाव प्रणाली के दोषः—

- धन का अधिक व्यय (खर्च)
- वोटों का खरीदा जाना
- झूठा प्रचार
- साम्प्रदायिकता
- हिंसा, जाति, धर्म के नाम पर वोट
- अपराधियों का प्रवेश

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः—

1. प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है?
2. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है?
3. निर्वाचन किसे कहते हैं?
4. मतदाता से क्या अभिप्राय है?
5. मतदाता सूचियां कौन तैयार करवाता है।
6. चुनाव—स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो। यह जिम्मेदारी किसकी है?
7. आम चुनाव किसे कहते हैं?
8. सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार किसे कहते हैं?
9. लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए।
10. अनुच्छेद-324(1) के माध्यम से किसकी स्थापना की गई है?
11. बहुलवादी व्यवस्था किसे कहते हैं?
12. पृथक निर्वाचन मंडल से क्या तात्पर्य है?
13. चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने का काम कौन करता है?
14. भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
15. भारत में राज्य सभा चुनावों में कौन सी मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है।
16. देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे?

दो अंकीय प्रश्नः—


1. प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में दो अन्तर लिखिए।
2. 'फर्स्ट—पार्स्ट—द—पोस्ट' प्रणाली का क्या अर्थ है?
3. 'समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली' किसे कहते हैं?
4. गुप्त मतदान प्रणाली किसे कहा जाता है?
5. आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से आप क्या समझते हैं?
6. किसी चुनाव प्रणाली की सफलता के कौन से दो तत्व हैं?
7. परिसीमन आयोग से आप क्या समझते हैं? इसका गठन कौन करता है?
8. भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष लिखें।

चार अंकीय प्रश्नः—

1. 'सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत' और 'समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था में चार अन्तर लिखिए।
2. सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के चार महत्व लिखिए।
3. भारत के निर्वाचन आयोग के चार मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए।
4. प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय व्यवस्था को समझाइए।
5. लोकसभा एवं विधानसभा सदस्य बनने के लिए संविधान में कौन—कौन सी योग्यताएं तय की गई हैं?
6. 'लोकतंत्र में चुनाव का महत्व' विषय पर टिप्पणी लिखिए।
7. पृथक निर्वाचन मण्डल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए।

पाँच अंकीय प्रश्नः—

1. निम्नलिखित कार्टून को ध्यानपूर्वक देखो तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए—



- (क) कार्टून में हाथी किस समस्या की ओर संकेत करता नजर आता है?
- (ख) हाथी की पूछ खींचना किस ओर इशारा करता है?
- (ग) हाथी की पूछ खींचने वाले नेता का नाम लिखिए?
- (घ) व्यस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं?

छ: अंकीय प्रश्न—

1. भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के कोई छ: सुझाव सुझाइए। वर्णन करो।
2. भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन प्रक्रिया को समझाते हुए, उसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए।
3. भारत की चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सविस्तार समझाइए?
4. भारत की चुनाव प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें?
5. “चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू है।” इस कथन को समझाते हुए चुनावों का लोकतंत्र में महत्व क्या है? समझाइए।

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक सरकार चलाने तथा आम फैसले लेने में सीधा भाग लेते हैं।
2. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था होती हैं जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनाव द्वारा चुनकर संसद में भेजते हैं तथा प्रतिनिधि सरकार चलाने तथा फैसले लेते हैं।
3. लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं।
4. भारतीय संविधान के अनुसार 18 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिकों को मत देने का अधिकार है, उसे हम मतदाता कहते हैं।
5. चुनाव आयोग।
6. चुनाव आयोग।
7. लोकसभा या विधानसभा के निश्चित पांच वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के बाद जो चुनाव होता है उसे आम चुनाव कहते हैं।
8. 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी स्त्री-पुरुष एवं अन्य भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान करने के अधिकार को सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं।
9. 25 वर्ष।
10. संविधान के अनुच्छेद-324 (1) के अनुसार भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है।
11. भारत में निर्वाचन कि विधि—“जो सबसे आगे वही जीते” / प्रणाली को अपना रखा है। इसे ही बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं।
12. पृथक निर्वाचन मंडल का अर्थ है कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे।
13. परिसीमन आयोग।
14. राष्ट्रपति।
15. एकल संक्रमणीय मत प्रणाली।
16. श्री सुकुमार सेन।

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

चार अंकीय प्रश्नों के सांकेतिक उत्तरः—

- ## 1. अन्तर—

<p>सार्वधिक वोट पाने वाले की जीत</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) देश को छोटे-छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देते हैं। (ii) हर निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है। 	<p>समानुपातिक प्रतिनिधित्व</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) पूरे देश का एक ही निर्वाचन क्षेत्र होता है (ii) एक से अधिक चुने जाते हैं।
---	--

(iii) मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है।	(iii) मतदाता पार्टी को मत देता है।
(iv) प्रत्याशी को मतदाता व्यक्तिगत जानते हैं।	(iv) इसमें मतदाता पार्टी को गुप्त रूप से वोट देता है इसलिए प्रत्याशी को नहीं जानता।

2. (i) सार्वभौमिक मताधिकार से जन प्रभुसत्ता सिद्धान्त लागू होता है।
(ii) यह लोकतांत्रिक सिद्धान्त के अनुरूप है।
(iii) व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है।
(iv) इससे राजनीतिक जागरूकता आती है।
3. (i) मतदाता सूची तैयार करना।
(ii) चुनाव की तिथि तय करना।
(iii) चुनाव कराना, निरीक्षण करना।
(iv) चुनाव परिणाम जारी करना।
4. सम्पूर्ण नगर राज्य के लोग एक खुले स्थान पर एकत्रित होते तथा अपने प्रतिनिधि को हाथ उठाकर चुनते तथा रोजमरा के सरकारी फैसला हाथ उठवाकर प्रत्यक्ष रूप से जनता से स्वीकृति प्राप्त करते थे। इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली कहते हैं।
5. (i) भारत का नागरिक हो।
(ii) आयु 25 वर्ष हो।
(iii) लाभ के पद पर ना हो।
(iv) पागल या दिवालिया ना हो।
(v) अपराधिक प्रवृत्ति का या सजा यापता ना हो।
6. लोकतंत्र में चुनावों का बहुत महत्व है— चुनाव व लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज विश्व में सौ से अधिक देशों में लोकतंत्र है। जहां लोकतंत्र है वहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है।
7. पृथक निर्वाचन मण्डल में—एक समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय विशेष के लोग वोट डाल सकते हैं।

आरक्षित चुनाव क्षेत्र—में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है।

पांच अंकीय प्रश्नों के सांकेतिक उत्तरः—

1. (क) प्रथम आम चुनाव में अनुभवहीन विशाल मतदाताओं को नियंत्रित करके सफल मतदान करवाना।
(ख) अनियंत्रित मतदाताओं को चुनाव में मतदान के लिए तैयार करने का प्रयास।
(ग) पं. जवाहर लाल नेहरू।
(घ) 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के मतदान का अधिकार देना।

छः अंकीय प्रश्नों के सांकेतिक उत्तरः—

1. चुनाव सुधार—
 - (i) सर्वाधिक जीत प्रणाली के स्थान पर, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाएं।
 - (ii) ससंदीय एवं विधान सभाओं में एक तिहाई सीटों पर महिलाओं का चुनाव।
 - (iii) चुनावों में धन के प्रभाव पर नियंत्रण।
 - (iv) फौजदारी मुकदमें वाले की उम्मीदवारी रद्द।
 - (v) चुनाव प्रचार में जाति एवं धर्म का प्रयोग प्रतिबंधित हो।
 - (vi) राजनीति दलों में पारदर्शिता एवं लोकतंत्र हो।
2. मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति—राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल—छः वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। वेतन—उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश के समान होता है।
कार्य— (1) मतदाता सूची तैयार करना, (2) चुनाव कार्यक्रम तय करना, (3) स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना (4) राष्ट्रीय एक राज्यपार्टी के रूप में दलों/पार्टीयों का मान्यता देना। (5) चुनावों का निरीक्षण करना। (6) राष्ट्रपति—उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना।
3. चुनाव प्रक्रिया—(i) चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होना (ii) चुनावों की तिथि, आवेदन करने, नाम वापस लेने की तिथि। चुनाव प्रचार तथा चुनाव

प्रचार की निगरानी करना, तय तिथि पर चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराना, मतगणना कराना तथा चुनाव परिणाम घोषित करना। (चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति, मतदान केन्द्रों की स्थापना)

4. चुनाव प्रणाली की विशेषताएं—

भारत में 'सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली' को अपना रखा है इसकी विशेषताएं हैं—

- (i) यह सरल है।
- (ii) इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाब देह होते हैं।
- (iii) मतदाता एवं प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष सम्पर्क रहता है।
- (iv) यह प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतंत्रीय सिद्धान्त पर आधारित है।
- (v) इसमें खर्च कम आता है।
- (vi) इस प्रणाली से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है।

5. लोकतंत्र में चुनाव का महत्व—

- (i) प्रतिनिधि चुनाव जीत कर सरकार में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।
- (ii) चुना हुआ प्रतिनिधि जनमत के अनुसार काम करेगा।
- (iii) इस व्यवस्था में जनता में आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है।
- (vi) लोकतंत्र में उचित प्रतिनिधित्व जरूरी है जो चुनाव द्वारा ही संभव है।
- (v) नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा उचित प्रतिनिधित्व से ही है।
- (vi) उचित प्रतिनिधित्व से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है।